

भाषा-वैज्ञानिकों ने भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार किया है, जिसे उपभाषा कहते हैं। भाषा का संबंध बोलने व लिखने से है, जबकि बोली का संबंध बोलने से है लेकिन उपभाषा का संबंध न तो बोलने से है और न ही लिखने से। सामान्य रूप से कहें तो यह एक ऐसा वर्ग है जिसका विश्लेषण तो हो सकता है पर प्रयोग नहीं हो सकता। एक भाषा की बहुत सी बोलियाँ होती हैं तथा उन बोलियों के बीच अलग-अलग मात्रा में निकटता और दूरी दिखलाई देती है।

हिन्दी की बोलियों के आधार पर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की बोलियों में जितनी निकटता होगी, उतनी उत्तर प्रदेश और झारखंड की बोलियों में नहीं हो सकती। इसी प्रकार बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियों में जो निकटता होगी, वह बिहार और छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं हो सकती। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि निकटवर्ती बोलियाँ परस्पर गहराई से जुड़ी होती हैं, जबकि दूर की बोलियों में उतना आंतरिक तारतम्य नहीं होता। उपभाषा सामान्य रूप से बोलियों के उस वर्ग को कहते हैं जिनमें समान ऐतिहासिक विरासत के कारण गहरे संबंध होते हैं तथा जिनकी भाषिक प्रवृत्तियाँ प्रायः एक सी होती हैं।

उपभाषा काल्पनिक वर्ग नहीं है जिसे मात्र बोलियों की परस्पर समानता के आधार पर निर्मित किया गया हो। बोलियों के निकट संबंध वस्तुतः समान ऐतिहासिक उद्भव पर आधारित होते हैं। हिन्दी की उपभाषाओं की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि पाँच प्रकार की प्राकृतों से पहले अपभ्रंशों तथा बाद में हिन्दी की उपभाषाओं का विकास हुआ है। विकास की यह प्रक्रिया इस प्रकार है-

- राजस्थानी प्राकृत → अपभ्रंश → राजस्थानी हिन्दी (उपभाषा)
- शौरसेनी प्राकृत → शौरसेनी अपभ्रंश → पश्चिमी हिन्दी (उपभाषा)
- अर्द्धमागधी प्राकृत → अर्द्धमागधी अपभ्रंश → पूर्वी हिन्दी (उपभाषा)
- मागधी प्राकृत → मागधी अपभ्रंश → बिहारी हिन्दी (उपभाषा)
- खस प्राकृत → खस अपभ्रंश → पहाड़ी हिन्दी (उपभाषा)

यद्यपि इस विकास प्रक्रिया के संबंध में भाषा-वैज्ञानिकों में अत्यधिक विवाद है, किंतु सामान्य रूप से यह वर्गीकरण स्वीकार किया जाता है।

हिन्दी की उपभाषाएँ तथा बोलियाँ

हिन्दी भाषा का वर्गीकरण निम्नलिखित पाँच उपभाषाओं में किया जाता है- राजस्थानी हिन्दी, बिहारी हिन्दी, पहाड़ी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी तथा पूर्वी हिन्दी।

